न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या –137/2019 (Bank Case)

यूको बैंक एक राष्ट्रीयकृत बैंक है जिसका प्रधान कार्यालय 10 वि.त्रे. म. सरणी (ब्रेबोर्न रोड) कोलकाता मे स्थित कार्यरत है जिसका एक शाखा कार्यालय एम.बी.एस. नयापुरा कोटा राजस्थान मे स्थित व कार्यरत है

– प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स सरदार एग्रीकल्चर हाउस (प्रो0 इन्द्रजीत सिंह) (ऋणी / बंधककर्ता)
   निवासी– दुकान नं0 7, नया मोटर बाजार, एरोड्राम सर्किल, कोटा राज0
2. श्री इन्द्रजीत सिंह पुत्र श्री भजन सिंह (ऋणी / बंधककर्ता0)
   निवासी– सी–10, इन्द्रा कोलोनी, भीमगंजमण्डी, लाडपुरा कोटा, राज0
3. श्री तरणजीत सिंह पुत्र श्री इन्द्रजीत सिंह (जमानती)
   निवासी– सी–10, इन्द्रा कोलोनी, भीमगंजमण्डी, लाडपुरा कोटा, राज0

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूत हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

श्री अमरसिंह नरूका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 03.12.2019

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि यूको बैंक एक राष्ट्रीयकृत बैंक है जिसक प्रधान कार्यालय 10 वि.त्रे. म. सरणी (ब्रेबोर्न रोड) कोलकाता मे स्थित कार्यरत है जिसका एक शाखा कार्यालय एम.बी.एस. नयापुरा कोटा राजस्थान में स्थित हैं, से अप्रार्थीगण ने दिनांक 18.05.2016 व 07.06.2016 को रूपये 25,00,000/– (अक्षरेः रूपये पच्चीस लाख मात्र) व 10,00,000/– (अक्षरेः दस लाख मात्र) कुल 35,00,000/–(अक्षरेः पैंतिस लाख मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति श्री इन्द्रजीत सिंह पुत्र श्री भजन सिंह की व्यवसायिक संपत्ति जो दुकान नं0 7, भू–तल, नया मोटर बाजार, एरोड्राम सर्किल, कोटा, राजस्थान पर हैं, जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं। जो कि सब रजिस्टार कोटा के अन्तर्गत क्रमांक नं0 4567, दिनांक 31.10.1995 बुल नं0 1 जिल्द नं0 616, पेज नं0 96 पर पंजीकृत हैं। जिसकी माप लगभग 122.19 वर्ग फीट हैं,** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नही कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 31.08.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थीगण के खातों मे 35,56,636.44 /– (अक्षरे पैंतिस लाख छप्पन हजार छः सौ छत्तीस रूपये चौवालिस पैसे मात्र) बकाया रकम दिनांक 31.08.2019 तक शेष देय हैं व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 27.09

Scanned by CamScanner

2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी दिनांक 27.09.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत दिनांक 27.09.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, इसके पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता **अचल सम्पत्ति श्री इन्द्रजीत सिंह पुत्र श्री भजन सिंह की व्यवसायिक संपत्ति जो दुकान नं0 7, भू–तल, नया मोटर बाजार, एरोड्राम सर्किल, कोटा, राजस्थान पर हैं, जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं। जो कि सब रजिस्टार कोटा के अन्तर्गत क्रमांक नं0 4567, दिनांक 31.10.1995 बुल नं0 1 जिल्द नं0 616, पेज नं0 96 पर पंजीकृत हैं। जिसकी माप** लगभग 122.19 **वर्ग फीट हैं,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संबंधित विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 03.12.2019 को सुनाया गया ।

जिला मजिस्ट्रेट कोटा

(ओम कसेरा)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

Scanned by CamScanner